

भारतीय रिज़र्व बैंक पर्यवेक्षण विभाग

RESERVE BANK OF INDIA Department of Supervision



पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं) (Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या

N-13.02012

No.

Converted from NBFC-CIC to NBFC-ICC

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए टाटा कैपिटल लिमिटेड को

दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने/करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the

Reserve Bank of India Act, 1934
TATA CAPITAL LIMITED

is hereby granted Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन मुंबई

में अगस्त

दो हजार

चौबीस

की

दूसरी

तारीख को जारी किया गया।

10.05.2012 दिनांकित प्रमाणपत्र संख्या N-13.02012 के बदले की जारी किया गया

Given under my hand at

Mumbai

this

Second

day of

August

Two Thousand

Twenty Four

Issued in lieu of certificate no. N 13 02012 dated 10.05.2012

(एम राजेन सिंह / M. Rajen Singh)

महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक

General Manager / Deputy General Manager



- 1. पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आपकी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में तथा अन्य कार्यालयों, शाखाओं में, यदि कोई हों, प्रदर्शित की जायेगी।
- 1. The Certificate of Registration or a certified copy thereof shall be kept displayed at the Registered Office and other offices, branches, if any, of your company.
- 2. आपकी कंपनी को पंजीकरण प्रमाण पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III बी के अंतर्गत निर्धारित समस्त शर्तों तथा मानदंडों का निरंतर पालन किये जाने की शर्त के अधीन जारी किया जा रहा है।
- 2. The Certificate of Registration is issued to your company subject to your continued adherence to all the conditions and parameters stipulated under Chapter III B of the Reserve Bank of India Act, 1934.
- 3. आपकी कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी तथा उस पर यथालागू निदेशों, दिशानिर्देशों / अनुदेशों आदि की अपेक्षाओं का पालन करना होगा।
- 3. Your company shall be required to comply with all the requirements of the directions, guidelines/instructions etc. issued by the Reserve Bank of India and as applicable to it.
- 4. यदि आपकी कंपनी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विज्ञापनों आदि में यह दर्शाना चाहती है कि उस के पास भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र है तो इस तरह के विज्ञापन में निम्नानुसार विवरण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिये:
- 4. If your company desires to indicate directly or indirectly in any advertisement etc. that the company is having a Certificate of Registration issued by the Reserve Bank of India, such advertisement should invariably contain a statement as under:

"कंपनी के पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 02.08.2024 का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र है। तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता की वर्तमान स्थिति अथवा कंपनी द्वारा दिये गये किसी विवरण अथवा प्रतिवेदन अथवा व्यक्त की गयी किसी राय की सत्यता के लिए और कंपनी द्वारा जमाराशियों की अदायगी/देयताओं के उन्मोचन के लिए कोई जिम्मेदारी अथवा गारंटी स्वीकार नहीं करता।"

"The company is having a valid Certificate of Registration dated 6 2 - 03 - 2 - 2 - 2 + issued by Reserve Bank of India under section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. However, the Reserve Bank of India does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of the company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinions expressed by the company and for the repayment of deposits/discharge of liabilities by the company."

- 5. आपकी कंपनी को जनता की जमाराशियां स्वीकार करने/रखने की अनुमती नहीं है।
- 5. Your company is not allowed to accept/hold public deposits.
- 6. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कारोबार प्रारंभ करने की तारीख से भारतीय रिज़र्व बैंक को अवगत कराया जाये।
- 6. The date when your company has commenced business as a non-banking financial institution may be advised to the Reserve Bank of India.



भारतीय रिज़र्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA



केका.पवि.विसेस.सं/CO.DOS.DSD.No.S3450/02-13-001/2024-2025

August 05, 2024

Hand Delivery

The Chairman,

M/s Tata Capital Limited

11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park Ganpatrao Kadam Marg,
Lower Parel, Mumbai- 400013

महोदया / महोदय, Madam / Dear Sir,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (4) के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना Issue of Certificate of Registration under Section 45-IA (4) of Reserve Bank of

India Act, 1934

कृपया 04 जनवरी, 2024 के अपने आवेदन पत्र का संदर्भ लें, जिसमें पंजीकरण प्रमाणपत्र (CoR) को सीआईसी से टाइप ॥ एनबीएफसी-एनडी में बदलने का अनुरोध किया गया था। आपके द्वारा अपने उपरोक्त आवेदन में दी गई जानकारी एवं आंकड़ों तथा इसके बाद हुए पत्राचार के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा-45 आईए के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंक) को प्रसन्नता हो रही है। कंपनी को गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफआई) व्यवसाय चलाने की अनुमित देने वाला प्रमाणपत्र संख्या N-13.02012 दिनांक 02 अगस्त, 2024 संलग्न है।

Please refer to your application dated 2024 requesting 04, January conversion of Certificate of Registration (CoR) from CIC to Type II NBFC-ND. On basis of the information and data furnished in the application and in the subsequent correspondence, the Reserve Bank of India (the Bank) is pleased to issue a CoR under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Certificate No. N-13.02012 dated August 02, 2024 permitting the company carry on non-banking financial institution (NBFI) business is enclosed.

पर्यवेक्षण विभाग (विनियामक सेवा समूह), 3री मंजिल, मुम्बई सेंट्रल रेल्वे स्टेशन के सामने , भायखला, मुंबई - 400008 Department of Supervision (Regulatory Services Group), 3rd Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Byculla, Mumbai 400008

फोन Tel: (91-22) 23084121; **फैक्स** Fax: (91-22) 23022011 **ई-मेल** e-mail: <u>rsgdos@rbi.org.in</u> हिन्दी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए

Caution: RBI never sends mails, SMS or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.



- 2. कंपनी टाइप ॥ एनबीएफसी-एनडी पर लागू नियमों और शर्तों का पालन करेगी जैसा कि मास्टर निर्देश- भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- स्केल आधारित विनियमन) दिशानिर्देश, 2023 या समय-समय पर बैंक द्वारा जारी किसी भी निर्देश, दिशानिर्देश में परिभाषित किया गया है।
- 3. टाटा समूह को सलाह दी जाती है कि वह

 Ewart Investments Limited को टाइप ।

 एनबीएफसी में परिवर्तित करने की संभावना

 तलाशें और Simto Investment Company

 Limited को Tata Investment

 Corporation Limited के साथ विलय करने

 की संभावना भी तलाशें।
- 4. कंपनी को Tata Capital Pte Limited (Singapore) में अपने निवेश से बाहर निकलने के लिए 24 महीने की समयाविध की अनुमित है।
- 5. कृपया प्राप्ति सूचना भेजें।

- 2. The company shall comply with the terms and conditions as applicable to Type II NBFC-ND as defined in Master Direction- Reserve Bank of India (Non-Banking Financial Company- Scale Based Regulation) Directions, 2023 or any directions, guidelines issued by the Bank from time to time.
- 3. Tata group is advised to explore the possibility of converting Ewart Investments Limited into Type I NBFC and to explore the possibility of merging Simto Investment Company Limited with Tata Investment Corporation Limited.
- 4. The company is allowed a time period of 24 months to exit its investment in Tata Capital Pte Limited (Singapore).
- 5. Please acknowledge the receipt.

भवदीय,

2737

(एम. राजेन सिंह)

महाप्रबंधक

संलग्नकः यथोक्त (मूल पंजीकरण प्रमाणपत्र)